न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 19/2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		सुरेन्द्र सांखला पुत्र हाउलाल सांखला जाति माली निवासी बेरी वाला बास, जसनगर तहसील मेडतासिटी जिला नागौर। फर्म–मैसर्स न्यू सांखला मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड, जसनगर।

आदेश दिनांक :23.12.2021

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 02-08-2020 को मैसर्स न्यू सांखला मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड, जसनगर जिला नागौर पर खाद्य पदार्थ मावा पेडा (मिठाई) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1309 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/215/एक्ट/2020/110 दिनांक 11.08.2020 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना मावा पेडा (मिठाई) अनसेफ होना पाया गया। तत्पश्चात अप्रार्थी के असंतुष्ट होने पर उक्त मावा पेडा (मिठाई) की जांच निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री भारत सरकार पुणे को भिजवाई गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट दिनांक 17.11.2020 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना मावा पेडा (मिठाई) सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त सुरेन्द्र सांखला पुत्र हाउलाल सांखला जाति माली निवासी बेरी वाला बास, जसनगर तहसील मेडतासिटी जिला नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए.2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थी को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 04-02-2021 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने दिनांक 23.12.2021 को अपना जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थी ने अपने जवाब मे बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मेरी दुकान से मावा पेडा का सेम्पल भरा था। जो सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया। मै छोटा दुकानदार हूँ। मेरी गांव मे छोटी सी दुकान है। मै मावा बाहर से खरीद कर लाता हूँ। जिसकी वजह से मावा मे फेट कम आया था। भविष्य मे ऐसी गलती नही करूंगा। अतः कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/215/एक्ट/2020/110 दिनांक 11.08.2020 के अनुसार खाद्य पदार्थ मावा पेडा (मिठाई) का नमूना Un Safe होना पाया गया है। जिस पर अप्रार्थी उक्त जांच से असंतुष्ट होने पर उक्त खोये के नमूने की पुनः जांच निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री भारत सरकार पुणे को भिजवाई गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट दिनांक 17.11.2020 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना मावा पेडा (मिठाई) सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया। इसलिये अप्रार्थी को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी सुरेन्द्र सांखला पुत्र हाउलाल सांखला जाति माली निवासी बेरी वाला बास, जसनगर तहसील मेडतासिटी जिला नागौर पर रूपये 20,000/– अक्षरे बीस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जागौर
नागौर (राजस्थान)